कार्यालय, उप संचालक कृषि, जिला–बस्तर जगदलपुर (छ0ग0)

Email Id-ddabastar@gmail.com, Fax No.-07782-225239, Phone No.-07782-222225

क्रमांक / T-4 / रा0खा0सु0मि0 / सं0नि0 / 2015–16 / 4400 जगदलपुर, दिनांक 05/01/16
प्रति,

संचालक
जन संपर्क (विज्ञापन शाखा)
जन संपर्क संचालनालय, छोटापारा
रायपुर (छ0ग0)

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत संविदा नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशनार्थ।

संदर्भ :– राज्य मिशन संचालक रा0खा0सु0मि0 रायपुर के पत्र क्रमांक / समेती / रा0खा0सु0मि0 / 2015–16 / 159 रायपुर, दिनांक 05.06.2015।

–000–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के आपरेशनल गाईड लाईन में दिए गए दिशा निर्देशनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत संविदा पदों (Contractual Staff) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

अतः निवेदन है कृपया सभी दैनिक समाचार पत्रों में संबंधित विज्ञापन जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :– प्रारूप एवं प्रपत्र

05/1/16

जिला परियोजना संचालक
(रा0खा0सु0मि0)
एवं
उप संचालक कृषि
जिला–बस्तर, जगदलपुर

पृ0क्रमांक / T-4 / रा0खा0सु0मि0 / सं0नि0 / 2015–16 / 4401 जगदलपुर, दिनांक 05/01/16
प्रतिलिपि **सादर सूचनार्थ** :–

1. राज्य मिशन संचालक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं समेती लभाण्डी रायपुर
2. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्तरीय कार्य परिषद समिति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिला–बस्तर, जगदलपुर
3. संयुक्त संचालक कृषि, बस्तर संभाग जगदलपुर।
4. जिला सूचना एवं विज्ञापन अधिकारी, जिला कार्यालय जगदलपुर की ओर www.chhattisgarh.nic.in के बेवसाईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

जिला परियोजना संचालक
(रा0खा0सु0मि0)
एवं
उप संचालक कृषि
जिला–बस्तर, जगदलपुर

63E:\HCL\New Section Year-15-16\T-4\OFFICE-4.docx

कार्यालय जिला परियोजना संचालक (रा0खा0सु0मि0)
एवं उप संचालक कृषि, जिला–बस्तर, जगदलपुर (छ0ग0)

//विज्ञापन//

छ0ग0 शासन कृषि विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रं. 3293/एफ–5–11/2008/14–3 दिनांक 30.05.08 संचालक राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान समेती, रायपुर के पत्र क्रं0/203, दिनांक 05.06.08/तथा पत्र क्रं0/रा0खा0सु0मि0/ 12–13/897 रायपुर, दिनांक 04.04.12 द्वारा प्राप्त निर्देशो के अनुक्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के परिचालन हेतु निम्नांकित संविदा पदो की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। न्यूनतम योग्यता अपेक्षाएं एवं अन्य विवरण नीचे पद के सामने अंकित है।

क्र0	पदो का नाम	पदो की संख्या	दैनिक भत्ता प्रतिदिन रू0	वाहन भत्ता प्रतिमाह रू0	संविदा मासिक निश्चित वेतन	शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6	7
1	सलाहकार (अनारक्षित)	1	150/– (माह में 10 दिन के लिये) या राज्य नियमानुसार	1000/-	30000/– प्रतिमाह	(1) क्षेत्रीय कृषि विस्तार सेवाओं में फसल उत्पादन के मामले में कम से कम 10 वर्षो के क्षेत्रीय अनुभव के साथ शस्य विज्ञान/ कृषि विस्तार/ मृदा विज्ञान/फसल सुधार में मास्टर डिग्री के साथ कृषि में बेसिक डिग्री। (2) व्यक्ति में दल नैतृत्व और प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए।
2	तकनीकी सहायक (अ.ज.जा.–1)	1	100/– (माह में 10 दिन के लिये) या राज्य नियमानुसार	800/-	20000/– प्रतिमाह	(1) कम्प्यूटर की जानकारी के साथ कृषि में बेसिक डिग्री। (2) अनुसंधान एवं विस्तार का अनुभव रखने वाले व्यक्तियो को वरियता दी जाएगी।

नियम एवं शर्ते :–

1. यह पद पूर्णतः अस्थायी है। उपरोक्त पदो पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना से प्रतिपूर्ति योग्य होगा। योजना समाप्त होने पर यह पद स्वयंमेव समाप्त हो जावेंगें। किसी भी परिस्थिति में राज्य शासन द्वारा इन पदो का व्यय भार वहन नही किया जावेगा।
2. संविदा नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
3. छत्तीसगढ का मूल/स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जावें।
4. आवेदन पत्र प्रारूप कार्यालय उप संचालक कृषि एवं विभाग की वेबसाईट WWW.agridept.cg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

5. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय तक मान्य होंगे।

6 आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, अनुभव, जाति, निवास संबंधी प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।

7. सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के लिए संविदा नियुक्ति के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी तथा अन्य आवेदको व आरक्षित वर्गो के आवेदको के लिये शासन के नियमानुसार आयु सीमा लागू होगी।

8. विज्ञापित पद के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि आवेदक संबंधित संस्था में कितने मासिक वेतन पर कब से कब तक कार्यरत रहा है।

9. रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना तथा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

10. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में न होने/अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को अमान्य कर दिया जावेगा।

11. जन्म तिथि के प्रमाण के लिए सामान्यतः हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी, मैट्रिक–कुलेशन परीक्षा के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

12. अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की उच्च्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

13. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेंगी।

14. उम्मीदवार लिफाफे के उपर विज्ञापित पद का नाम एवं अपनी श्रेणी (अनारक्षित/अन्य पि0वर्ग/अ0जा0/अ0ज0जा0/) अवश्य लिखें।

15. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियम की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

16. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

17. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि सहित उम्मीदवार का आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से

कार्यालय जिला परियोजना संचालक (रा0खा0सु0मि0) एवं उप संचालक कृषि, बस्तर, जगदलपुर (छ0ग0) में प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। सीधे आवेदन व कोरियर से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

18. उपरोक्त विज्ञापन में दर्शाए गए पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने का एवं आवेदन पत्रों पर विचार करने/स्वीकार/अस्वीकार करने तथा नियुक्ति के संबंध में कलेक्टर एवं चेयरमेन रा0खा0सु0मि0, जिला–बस्तर, जगदलपुर को निर्णय मान्य होगा।

26/12/15

जिला परियोजना संचालक (रा0खा0सु0मि0)
एवं उप संचालक कृषि
बस्तर, जगदलपुर

प्रति,

परियोजना संचालक (रा0खा0सु0मि0)
एवं उप संचालक कृषि
जिला–बस्तर, जगदलपुर (छ0ग0) पिन–494001

राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित फोटो चस्पा करें.

आवेदन का विवरण :–

(1) आवेदित पद का नाम :–..

(2) आवेदक का नाम (हिन्दी में) :–..

अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में :–..

(3) पिता/पति का नाम :–..

(4) जन्म तिथि :–..

अंको में :–..

शब्दों में :–..

आयु (01.10.12) :–..

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तथा अन्य व आरक्षित आवेदकों के लिए शासन के नियमानुसार लागू होगी।

(5) पहचान चिन्ह :–..

(6) लिंग :–..

(7) जाति :–..

(8) **शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता (कम्प्यूटर) योग्यता**

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।

(9) वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :–..

(10) स्थायी पता :–..

दूरभाष/मोबाईल नंबर हो, तो अंकित करें:–..

(11) जिला जहां के मूल निवासी :–..

(12) आवेदक विवाहित है या अविवाहित :–..

विवाह की तिथि :–..

जीवित बच्चों की संख्या एवं उनकी जन्मतिथियां :–..

(13) वर्तमान/पूर्व रोजगार का विवरण।

क्र0	संस्था/विभाग का नाम	रोजगार की अवधि	पदनाम	पिछला आहरित वेतन	संस्था/विभाग छोड़ने का कारण
1	2	3	4	5	6

(14) कार्य अनुभव :–...

(15) क्या देश/विदेश में किसी भी विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है यदि हां तो विवरण दे।

:–...

:–...

(16) क्या आप किसी शासकीय सेवा के लिये मेडिकल बोर्ड या अन्य विधिवत नियुक्ति मेडिकल अर्थारिटी द्वारा आयोग्य ठहराये गये है यदि हो तो विवरण दें।

:–...

:–...

(17) संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. :–...
2. :–...
3. :–...
4. :–...
5. :–...

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मै...घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है। उनमें से कोई भी जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन/चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उनका निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान :–..

दिनांकः–..

आवेदक का हस्ताक्षर